



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18053

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - **45385/2025**
जगरूपआवेदक(गण)

बनाम
उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता :अमृता कश्यप, रोहित शुक्ला
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता:शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत याचिका, केस क्राइम संख्या 774, 2025 में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229, 233, 237, 246, 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत, पुलिस थाना कसया, जिला कुशीनगर में, विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इस मामले की सुनवाई 12.01.2026 को हुई थी। उस तारीख को, अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"इस मामले को 27.1.2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में 'ताज़ा' मामले के तौर पर पेश किया जाए, ताकि माननीय अपर सरकारी अधिवक्ता को जाँच की स्थिति के साथ-साथ इस तथ्य के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का अवसर मिल सके कि क्या कोई ऐसी रोक है जिसके तहत कोई व्यक्ति एक से अधिक मामलों में ज़मानतदार नहीं बन सकता, भले ही उसकी ज़मीन या संपत्ति का मूल्य उसके द्वारा ली गई ज़मानतों के कुल मूल्य से अधिक हो।

माननीय अपर सरकारी अधिवक्ता आवेदक द्वारा दी गई ज़मानत की राशि और विभिन्न 'मुकदमा अपराध संख्याओं' में ज़मानत देने के लिए पेश की गई आवेदक की ज़मीन के कुल मूल्य के संबंध में भी निर्देश प्राप्त करेंगे।

अगली तारीख को, इस मामले के जाँच अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड के साथ इस अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।"

4. दिनांक 12.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, (जांच अधिकारी), श्री ब्रह्म कुमार उपाध्याय, सब-इंस्पेक्टर उपस्थित हैं और उन्होंने विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता को निर्देश सौंप दिए हैं; तथा विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया है कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित 10 मामलों के अलावा, आवेदक ने अन्य मामलों में भी अपनी ज़मानत प्रस्तुत की है, लेकिन ज़मानत आदेशों की अनुपलब्धता के कारण अन्य मामलों का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका। तथापि, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर यह स्वीकार किया कि आवेदक की संपत्ति का मूल्यांकन लगभग 18.70 लाख रुपये है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक की जिस संपत्ति के आधार पर उसने अभियुक्त की ज़मानत ली है, उसका मूल्यांकन 18.70 लाख रुपये है; अतः, आवेदक दंड अपराध संख्या की धारा 441A (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486) के आलोक में एक से अधिक अभियुक्तों के लिए ज़मानत ले सकता है, बशर्ते कि संपत्ति का मूल्यांकन कुल ज़मानत राशि से अधिक हो। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया है कि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान की गई कूटरचना के मामले में, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 229, 233, 236, 237, 242 से 248 और 267 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, संज्ञान केवल शिकायत के आधार पर ही लिया जा सकता है, न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 318(2), 318(4) और 338 'असंज्ञेय अपराध' की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। अतः, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इसके विपरीत, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता उन्होंने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया है और यह दलील दी है कि, जैसा कि आवेदक के अधिवक्ता ने ऊपर बताया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये अपराध गैर-संज्ञेय हैं, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 336 (3) और 340 (2) संज्ञेय अपराध हैं; इन धाराओं के तहत मामला बनता है या नहीं, यह आरोप तय करते समय देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी दलील दी कि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा मामलों में ज़मानतदार नहीं बन सकता, लेकिन सरकारी अधिवक्ता (अपर सरकारी अधिवक्ता) इस बात का खंडन नहीं कर सके कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा मामलों में एक से ज़्यादा आरोपियों का ज़मानतदार बनने से रोकता हो, बशर्ते कि संपत्ति का मूल्यांकन ज़मानत की कुल राशि से ज़्यादा हो। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि आवेदक ने निचली अदालत में, अलग-अलग मामलों में ज़मानतदार बनते समय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441ए (जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 के बराबर है) के तहत ज़रूरी घोषणा पत्र दाखिल किया था। इस घोषणा पत्र में आवेदक ने साफ़ तौर पर यह ज़िक्र किया था कि उसने किसी अन्य आरोपी की ज़मानत नहीं ली है और न ही वह किसी अन्य मामले में किसी अन्य आरोपी के लिए ज़मानतदार बनेगा। इसलिए, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आवेदक ने अलग-अलग आरोपियों की ज़मानत लेते समय निचली अदालत में झूठा हलफ़नामा दाखिल किया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपर्युक्त प्रस्तुति पर विचार करते हुए, एक कानूनी प्रश्न उठता है, "क्या कोई व्यक्ति ज़मानत (ज़मानतों) में एक से अधिक व्यक्तियों की ज़मानत ले सकता है?" भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 485 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441) यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को ज़मानत बांड पर रिहा करते समय, अभियुक्त की ओर से एक या अधिक पर्याप्त ज़मानतदार प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जो यह वचन दें कि ज़मानत पर रिहा किया गया व्यक्ति निर्धारित समय और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित होगा; और संबंधित न्यायालय ज़मानतदारों की पर्याप्तता या उपयुक्तता का निर्धारण कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 485 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"485. अभियुक्त और ज़मानतदारों का बॉन्ड-

(1) किसी भी व्यक्ति को बॉन्ड या ज़मानत बॉन्ड पर रिहा करने से पहले, पुलिस अधिकारी या न्यायालय (जैसा भी मामला हो) द्वारा तय की गई पर्याप्त धनराशि का एक बॉन्ड उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा; और जब उसे बॉन्ड या ज़मानत बॉन्ड पर रिहा किया जाता है, तो एक या अधिक पर्याप्त ज़मानतदारों द्वारा भी एक बॉन्ड भरा जाएगा। इस बॉन्ड की शर्त यह होगी कि वह व्यक्ति बॉन्ड में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित रहेगा, और तब तक उपस्थित रहना जारी रखेगा जब तक कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय (जैसा भी मामला हो) द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(2) जहाँ किसी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करने के लिए कोई शर्त लगाई जाती है, तो बॉन्ड या ज़मानत बॉन्ड में वह शर्त भी शामिल होगी।

(3) यदि मामले की आवश्यकता हो, तो बॉन्ड या ज़मानत बॉन्ड उस व्यक्ति को, जिसे ज़मानत पर रिहा किया गया है, इस बात के लिए भी बाध्य करेगा कि आरोप का जवाब देने के लिए बुलाए जाने पर वह उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में उपस्थित हो।

(4) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि ज़मानतदार उपयुक्त या पर्याप्त हैं या नहीं, न्यायालय ज़मानतदारों की पर्याप्तता या उपयुक्तता से संबंधित तथ्यों के प्रमाण के रूप में उनमें दिए गए शपथ-पत्रों को स्वीकार कर सकता है; या, यदि वह आवश्यक समझे, तो वह स्वयं जाँच कर सकता है, अथवा न्यायालय के अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से ऐसी पर्याप्तता या उपयुक्तता के संबंध में जाँच करवा सकता है।"

8. इसी प्रकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 (जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441ए के समतुल्य है) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त की ज़मानत पर रिहाई के लिए ज़मानतदार के रूप में खड़ा होता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करनी होगी कि वह कितने अन्य व्यक्तियों के लिए ज़मानतदार बन चुका है, और साथ ही उसे अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 को नीचे उद्धृत किया गया है:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"486. ज़मानतदारों द्वारा घोषणा-

हर वह व्यक्ति जो किसी आरोपी की ज़मानत पर रिहाई के लिए ज़मानतदार बनता है, उसे अदालत के सामने यह घोषणा करनी होगी कि उसने कितने लोगों के लिए ज़मानत दी है (जिसमें वह आरोपी भी शामिल है), और उसमें सभी ज़रूरी जानकारी देनी होगी।"

9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ऊपर बताई गई धाराओं 485 और 486 को पढ़ने से यह साफ़ है कि कोई भी व्यक्ति एक ही मामले या अलग-अलग मामलों में एक से ज़्यादा आरोपियों के लिए ज़मानतदार बन सकता है, बशर्ते अदालत उसकी हैसियत और योग्यता से संतुष्ट हो। इसलिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक से ज़्यादा आरोपियों की ज़मानत पर रिहाई के लिए ज़मानतदार बनने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते उसकी हैसियत या क्षमता हो।

10. इस मामले में, अदालत ने पाया कि आवेदक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 के तहत जमा की गई घोषणा से पता चलता है कि कुशीनगर ज़िला न्यायपालिका में जो फॉर्मेट चल रहा है, उसमें एक शर्त यह है कि जिस ज़मानतदार ने ज़मानत दी है, उसने किसी और आरोपी के लिए ज़मानत नहीं दी है और वह किसी और मामले में ज़मानत नहीं देगा। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह फॉर्मेट हाई कोर्ट ने जारी किया है, अदालत ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया। उन्होंने अदालत को बताया कि भारतीय नागरिक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सुरक्षा संहिता की धारा 486 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441ए) के तहत ज़मानतदारों की घोषणा के संबंध में हाई कोर्ट ने ऐसा कोई फॉर्मेट जारी नहीं किया है। इसलिए, अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 के अनुसार ज़मानतदारों की घोषणा के लिए ज़रूरी फॉर्मेट बुलंदशहर, मथुरा और संभल ज़िलों से भी मंगवाए। इन फॉर्मेट को देखने पर अदालत को हैरानी हुई कि इन सभी फॉर्मेट में कोई एकरूपता नहीं है। बुलंदशहर और संभल ज़िला न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाले घोषणा फॉर्मेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441ए) के प्रावधानों के विपरीत हैं, क्योंकि इन फॉर्मेट में यह शर्त है कि ज़मानतदारों ने किसी और मामले में ज़मानत नहीं दी है। हालाँकि, मथुरा ज़िले में प्रचलित घोषणा फॉर्मेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 के अनुरूप लगता है, जिसमें खंड पंचम में यह ज़िक्र है: "उन अन्य मामलों का विवरण जिनमें घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा ज़मानत दी गई है।"

11. अलग-अलग ज़िला अदालतों में प्रचलित छपे हुए प्रोफॉर्मा की वजह से, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 के अनुरूप नहीं थे, ज़मानतदारों ने गलती से गलत घोषणा दायर कर दी है। उन्होंने यह घोषणा की है कि उन्होंने किसी अन्य मामले में ज़मानत नहीं दी है, जबकि असल में इन ज़मानतदारों ने कई अन्य मामलों में ज़मानत दी हुई है। कई मामलों में तो ज़मानतदारों के खिलाफ़ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, इस आधार पर कि उन्होंने एक से ज़्यादा आरोपियों के लिए ज़मानत ली थी, लेकिन अदालत के सामने यह घोषणा की थी कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति की ज़मानत नहीं ली है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. इसलिए, यह अदालत सभी ज़िला अदालतों को निर्देश देती है कि वे मथुरा ज़िले में प्रचलित घोषणा के प्रारूप को अपनाएँ। इस प्रारूप के खंड पंचम में, उन सभी मामलों का विवरण दिया गया है जिनमें व्यक्ति ने ज़मानत दी है (जिसमें विचाराधीन मामला भी शामिल है)। साथ ही, घोषणा में यह बात नहीं लिखी होनी चाहिए कि ज़मानतदार किसी अन्य आरोपी व्यक्ति के लिए ज़मानतदार के तौर पर खड़े नहीं होंगे—सिवाय तब जब उनकी ज़मानत का मूल्यांकन या क्षमता अपर्याप्त हो।

13. अब मौजूदा मामले के तथ्यों पर आते हैं। ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम दृष्टया आवेदक की संपत्ति का मूल्य उसके द्वारा ली गई ज़मानतों के कुल मूल्य से अधिक है—और दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ज़मानत पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की ज़मानत लेने पर कोई रोक नहीं है (बशर्ते संपत्ति का मूल्यांकन ज़मानत के कुल मूल्य से अधिक हो)—इसलिए, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। हालाँकि, जैसा कि विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने बताया है, अदालत के सामने झूठा हलफ़नामा दायर करने के लिए, संबंधित अदालत कानून के अनुसार आवेदक के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही, **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मेरा मानना है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. आवेदक—जगरूप, जो ऊपर बताए गए अपराध में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए। उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक निजी मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने होंगे, और उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:—

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

ii. आवेदक, बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक, अपने द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

15. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. ज़मानत बांड स्वीकार करने से पहले, संबंधित अदालत द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की जाँच की जाएगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनरेटेड प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा; यह प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जाएगी और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

18. आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, (ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

19. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 'ज़मानत देने की नीति और रणनीति' से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या 'ई-प्रिजन पोर्टल' द्वारा आवेदक को भेजे। यह आदेश 'संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4, 2021, जिसका निर्णय 31.01.2023 को पारित किया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20. रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक अनुपालन हेतु इस आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रसारित करें।

21. उप-निरीक्षक श्री ब्रह्म कुमार उपाध्याय को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाती है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 27, 2026

एस.सी.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"